

अनुमति की शर्तें ।

- (i) नया भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्रता विधि की शर्तों पर है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वीय, प्रशासनिक या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई संश्लेषणात्मक नहीं होगा तथा न ही निगम किसी भी प्रकार का विवाद प्रारम्भ करेगा।
- (iii) नया निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से अग्रिम निगम को सूचित करना।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के शिथिल निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खिड़की केवल आवासीय भूखण्डार्थ

नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 863 दिनांक 25/01/2021

आवासीय (सिमेंट) भूखण्ड जागतिक 20.50 बीघाराम जागतिक

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय से पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रु. 8342/- जमा

जारी रसीद संख्या 1069/553, 554

दिनांक 25/01/2021 को जमा करा दी है।

र. नं. 2 ख 20 मधुवन शशीलदा पौड

25/01/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी.सी.
आवासीय

1/2021
00367